

गौरीप
27.03.2024

2024 776

फर्द अहकाम
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
शिलादेवी बनाम चन्द्रकान्ता आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 554 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
11.12.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.12.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	
24.12.2024	<p>मकुमार फाटिउं उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 6 व 11 ने जजिमे वकील श्री डिनेश भाद्रु उपस्थित आगत जम्बव र।। पेश किया। टेस्ट जम्बव जस्ट हुये जि-हे शामिल फाटिउं किया गया। वकील वादी के निवेदन पर जेकि प्रतिवादीगण की लम्बी डेकिडु समाचार फा हे कतवार जाकर पत्रावली साइडिंग बा 15/1/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	
15.1.2025	<p style="text-align: center;">मुलायम कलक्टर रावतसर/PU मड 4 फर्द</p> <p>प्रमाण दी गयी। प्रमाणित मसल को दिनांक 24.1.2025 फ पेश हो - 3/1/25</p>	
24.1.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने डेकिडु समाचार पत्र की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 2 व 5 मकुमुद विधिवत समाचार पत्र के तामिल के उपस्थित नही कसलिये उनके खिलाफ धर्मवादी एक्टिंग कभल में ली जारी है। पत्रावली बास्ते सास्य साइडिंग तफ 27/1/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	
27/1/2025	<p>मकुमार फाटिउं उपस्थित। सास्य कतवाना नदी न्यास्ते कसलिये फाटिउं की कसलिये गई। पत्रावली कसलिये कन किया गया पत्रावली पर कसलिये रिवादी के आधार पर वादीगण डिमी किया जाता है कसलिये उचित निर्णय कसलिये है कसलिये जाकर शामिल फाटिउं किया जावे। पत्रावली नष्ट हो के की जाकर दाकिडु कसलिये हो।</p> <p style="text-align: center;">०१</p>	

